न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी– राजेश सुवालका (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 14/2025 | **दायर दिनांक** 05.02.2025 | **निर्णय दिनांक** 01.04.2025

अनवान

1. बद्रीलाल पिता घीसा जाति जाट आयु वयस्क निवासी मेवदा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. मांगु पिता घीसा जाति जाट आयु वयस्क निवासी मेवदा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
3. शंकर पिता घीसा जाति जाट आयु वयस्क निवासी मेवदा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
4. हरि पत्नि घीसा जाति जाट आयु वयस्क निवासी मेवदा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

प्रार्थीगण

बनाम

1. पुष्पाबाई पत्नी श्यामलाल जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी मेवदा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. नारायणीबाई पुत्री उदयराम जाति जाट आयु वयस्क निवासी मेवदा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
3. शंकरलाल पिता घीसा जाति जाट आयु वयस्क निवासी मेवदा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
4. जीतु पिता सुरजमल जाति सेन आयु वयस्क निवासी मेवदा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
5. भैरूलाल पिता केला जाति जाट आयु वयस्क निवासी मेवदा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
6. रामलाल पिता उदयराम जाति जाट आयु वयस्क निवासी मेवदा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
7. बालु पिता उदयराम जाति जाट आयु वयस्क निवासी मेवदा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
8. घीसुदास पिता चुन्नीदास जाति वैष्णव आयु वयस्क निवासी मेवदा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
9. श्रीलाल पिता चुन्नीदास जाति वैष्णव आयु वयस्क निवासी मेवदा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
10. फतहसिंह पिता भैरूसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी मेवदा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
11. रामेश्वर पिता माधु जाति भील आयु वयस्क निवासी मेवदा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
12. चतरू पिता जसु जाति भील आयु वयस्क निवासी मेवदा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
13. अम्बालाल पिता गोटू जाति जाट आयु वयस्क निवासी मेवदा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
14. भैरू पिता दयाराम जाति जाट आयु वयस्क निवासी मेवदा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
15. भैरूदास पिता रोशन जाति वैष्णव आयु वयस्क निवासी मेवदा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
16. किशन पिता लेहरू जाति जाट आयु वयस्क निवासी मेवदा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
17. इन्द्रसिंह पिता उदय सिंह जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी मेवदा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन, जिला-चित्तौडगढ

18. नाथु सिंह पिता छितरसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी मेवदा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
19. वेणीराम पिता गेरू जाति जाट आयु वयस्क निवासी मेवदा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
20. कमला पुत्री छगन जाति जाट आयु वयस्क निवासी मेवदा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
21. किशना पिता नाथुराम जाति जाट आयु वयस्क निवासी मेवदा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ। (विलोपित)
22. देवीलाल पिता रामचन्द्र जाति ढोली आयु वयस्क निवासी मेवदा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
23. शंकर पिता रामचन्द्र जाति ढोली आयु वयस्क निवासी मेवदा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
24. श्यामु पुत्री रामचन्द्र जाति ढोली आयु वयस्क निवासी मेवदा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
25. कैलाश पिता शंकर जाति लौहार आयु वयस्क निवासी मेवदा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
26. श्यामलाल पिता खेमराज जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी मेवदा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
27. चतरभुज पिता केला जाति जाट आयु वयस्क निवासी मेवदा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
28. शंकर पिता दीपा जाति भील आयु वयस्क निवासी मेवदा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
29. रतन पिता उदयराम जाति भील आयु वयस्क निवासी मेवदा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
30. लेहरू पिता गणेश जाति जाट आयु वयस्क निवासी मेवदा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
31. गणेश पिता बालु जाति जाट आयु वयस्क निवासी मेवदा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
32. शंकर पिता गंगाराम जाति जाट आयु वयस्क निवासी मेवदा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
33. तहसीलदार कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

अप्रार्थीगण

उपस्थितिः— अधिवक्ता श्री कन्हैया लाल वैष्णव — प्रार्थीगण

एकतरफा — अप्रार्थीगण

—:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम::—

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा मेवदा पटवार हल्का मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074—2077 के खाता संख्या 199 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 1573/26, 623, 626, 920, 923 कुल किता 05 कुल रकबा 1.89 हैक्ट0 तथा खाता संख्या 72 के आराजी संख्या 1074, 1154, 1550/592, 27, 579, 580, 581, 582, 625, 83, 84 कुल किता 11 कुल रकबा 5.81 हैक्ट0 तथा खाता संख्या 133 की आराजी संख्या 583 कुल किता 01 कुल रकबा 0.02 हैक्ट0 कृषि भूमि प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है, और अप्रार्थीगण आराजियात जैर—बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, कपासन • जिला-चित्तौड़गढ़ •

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़

अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा–चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के संयुक्त खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 21 के विरूद्ध वकील प्रार्थीगण द्वारा कार्यवाही नहीं चाहने से कार्यवाही ड्रॉप की गई। अप्रार्थी संख्या 1 से 20 तथा 22 से 32 के आज दिनांक को बाजवूद सूचना के हाजिर नहीं आने से उक्त अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की पत्थरगढी कराना चाहते है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर–बहस की नपती करा पत्थरगढी कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम मे प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात मौजा मेवदा पटवार हल्का मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या 199 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 1573/26, 623, 626, 920, 923 कुल किता 05 कुल रकबा 1.89 हैक्ट0 तथा खाता संख्या 72 के आराजी संख्या 1074, 1154, 1550/592, 27, 579, 580, 581, 582, 625, 83, 84 कुल किता 11 कुल रकबा 5.81 हैक्ट0 तथा खाता संख्या 133 की आराजी संख्या 583 कुल किता 01 कुल रकबा 0.02 हैक्ट0 कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो, किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावे। पत्थरगढी हेतु भू0अभि0निरी0 धमाणा को 1000/– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका एवं मौका नक्शा इस न्यायालय में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करें। पालनार्थ तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक 01.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, कपासन जिला चित्तौडगढ

(राजेश सुवालका)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन
कपासन जिला चित्तौडगढ